

(1)	(2)	(3)
28.05.25	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक तुलेश्वर ध्रुव पिता गणेश राम निवासी ग्राम कुडेरादादर, तहसील-छुरा, जिला-गरियाबंद द्वारा ग्राम केरगांव, प.ह.नं. 19, तहसील-गरियाबंद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 2.02हे0 भूमि में स्थित 205 में से 10 वृक्षों के काटने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रकरण में राजस्व निरीक्षक एवं सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी से संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त। प्रकरण का अवलोकन किया गया। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27.02.2025 को प्राप्त हुआ। राजस्व निरीक्षक बिन्दानवागढ़ एवं सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी पीपरछेड़ी के संयुक्त प्रतिवेदन में विवरण (प्रपत्र अ,ब,स) प्रस्तुत है तथा आवेदक द्वारा उक्त आवेदन के खसरा पांचसाला में वृक्ष की संख्या तथा प्रजाति दर्ज नहीं है। उक्त आवेदन में आवेदक द्वारा काटे जाने वाले वृक्षों का स्पष्ट विवरण, शुष्क वृक्षों की प्रजाति, संख्या और भौतिक स्थिति, परिपक्व वृक्षों की प्रजाति, संख्या और भौतिक स्थिति तथा कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में काटे जाने वाले वृक्षों के विवरण के अभाव में वृक्ष कटाई की अनुज्ञा जारी किया जाना संभव नहीं है। अतः आवेदक तुलेश्वर ध्रुव पिता गणेश राम द्वारा वृक्ष कटाई हेतु प्रारूप-क में प्रस्तुत आवेदन में काटे जाने वाले वृक्षों का आधारभूत विवरण न होने के कारण प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जाता है। प्रकरण नस्तीबद्ध होकर दाखिल दफ्तर हो। अनुविभागीय अधिकारी(रा0) गरियाबंद	